न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 46/2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 पोखरमल पुत्र लच्छा।
2 परसाराम पुत्र लच्छा।
3 घनश्याम पुत्र लच्छा।
4 सीताराम पुत्र लच्छा।
5 सुलताना पुत्र दौला।
6 परमेश्वर पुत्र द्वारका प्रसाद।
7 पूर्ण पुत्र द्वारका प्रसाद।
8 विजय कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद समस्त जाति माली निवासीगण दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मक्खन पुत्र बालूराम।
2 सुखदेवाराम पुत्र बालूराम।
3 दानाराम पुत्र बालूराम।
4 सुमन पुत्री द्वारका प्रसाद।
5 श्रवणी देवी पत्नी द्वारका प्रसाद समस्त जाति माली निवासीगण दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर।
6 पिंकी आयु 14 वर्ष पुत्री द्वारका प्रसाद नाबालिग जरिये माता श्रवणी ।
7 कमलेश आयु 10 वर्ष पुत्र द्वारका प्रसाद नाबालिग जरिये माता श्रवणी ।
8 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सीकर उनवानी मक्खन आदि बनाम पोखरमल आदि
मुकदमा नम्बर 50/2014 दिनांक 16.05.2018 अन्तर्गत
धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. श्री रणजीत सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अजीत सिंह अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री नानूराम अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—29-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 50/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रास्ता कटान में किये जाने का निवेदन किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 1.51 हैक्टेयर तन ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। खसरा नम्बर 307 के पश्चिम में सींव जोड़ अनावेदकगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 320 रकबा 0.03 हैक्टेयर 321 रकबा 4.06 हैक्टेयर अवस्थित है। अनावेदकगण के खेतों के पश्चित में आम रास्ता है तथा इन्ही की भूमि खसरा नम्बर 321 के उत्तरी सींव के सहारे सहारे पूर्व

Lavio
प्रान्त अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

छोर तक भूमि खसरा नम्बर 314/1165 रकबा 0.04 हैक्टेयर है जिसकी खातेदारी भी आवेदकगण के नाम है। खसरा नम्बर 307 में जाने के लिये मुख्य सड़क के कटा हुआ आवेदकगण की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 314/1165 गैर मुमकिन रास्ता है। उक्त रास्ता अनावेदकगण के खेत की पूर्वी सींव पर जाकर खत्म हो जाता है फिर इस रास्ते की पूर्वी सीमा से दक्षिण की और अनावेदकगण के खेतो खसरा नम्बर 321 से होता हुआ आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 307 की उत्तरी पश्चिमी कोने में प्रवेश करता है उक्त रास्ता के बाबत दिनांक 09.08.1997 को अनावेदकगण ने 6250/– रूपये कीमत लेकर संरपच ग्राम पंचायत दौलतपुरा के सामने लिखावट कर अपने हस्ताक्षर किये थे उक्त रास्ता कदीमी है। लेकिन उक्त खसरा नम्बर 321 में से जो रास्ता है वह नक्शे में कटा हुआ नहीं है इसलिये पिछले एक सप्ताह से अनावेदकगण व्यवधान डालने की एलानिय धमकी दे रहे है इसलिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । इसके अलावा आवेदकगण की उक्त भूमि में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्त रास्ता 30 फिट चौड़ा खसरा नम्बर 321 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 307 की उत्तरी सीमा तक कायम करवाया जाकर नक्शे में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। आवेदकगण खसरा नम्बर 307 में से सटती हुई भूमि या डी. एल.सी. दर की दुगुनी किमत प्रतिफल में देने को तैयार है। अत आवेदन स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 16.05.2018 से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी वांछित रास्ते को कदिमी प्रचलित रास्ता बताकर आया है ऐसा रास्ता धारा 251ए की परिधि में नही आता है। सुखाधिकार के लिये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सिविल न्यायालय ही अनुतोष दे सकता है। प्रार्थी यह भी कथन करके आया है कि उसने यह रास्ता खरीदा है दो विपरित कथनों के साथ पेश किया गया आवेदन खारिज योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल ने मौका कमिशनर रिपोर्ट दिनांक 05.08.2014 व 23.03.2015 को खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि सुखाधिकार में कटान का रास्ता नही होता है प्रकरण धारा 251ए की परिधि में आता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है एक बार संरपच के सामने लिखावट कर रास्ता ले लिया किन्तु कटान का नही होने से अप्रार्थीगण व्यवधान पैदा कर रहे है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता कटवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने चार बार मौका रिपोर्ट करवाकर विस्तृत विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 307 में जाने के लिये खसरा नम्बर 321 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से रास्ता मौके पर था। उक्त रास्ते को कटान में किये जाने बाबत इस न्यायालय में 251ए में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवाई गई जो आवेदन के तथ्यों के अनुसार प्राप्त होने पर अनावेदकगण में प्रत्येक रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है एवं एक रिपोर्ट के बाद दुसरी रिपोर्ट मंगवाये जाने के दौरान उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कुछ न कुछ बदलाव किया है जो कि तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई रिपोर्टो से प्रमाणित है। यह भी तथ्य

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर अधिकारी

प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 307 में जाने के लिये वर्तमान में कोई रास्ता मौजुद नहीं है। तहसीलदार सीकर की अंतिम रिपोर्ट दिनांक 09.01.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 308,311 व 321 में से भूमि सम्मिलित करते हुये रास्ता दिया जा सकता है। इस बाबत भी विचारण न्यायालय ने गौर किया, तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट में स्वंय यह तथ्य अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 398 में मौके पर मकान बनाकर आवास कर रहे है इस मकान से चिपती हुई पश्चिम में लगभग 3 मीटर भूमि खाली पड़ी हुई है। इससे स्पष्ट है कि यदि इन खसरा नम्बरों से रास्ता दिया जाता है कि खसरा नम्बर 308 में बने हुये आवासीय मकानों के लिये कुछ भी सेटबैक नही बचेगा। इस प्रकार खसरा नम्बर 308 मे से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं मानकर रेस्पोडेंट का आवेदन स्वीकार करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने स्वंय ने मौका भी देखा है। धारा 251ए की कार्यवाही संक्षिप्त होती है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आपत्ति होने पर पुन मौका रिपोर्ट मंगाकर स्वंय मौका निरीक्षण कर विस्तृत विवेचन करते हुये विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

29.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर